काश्त की जमीन पर जबरदस्ती दखलअंदाजी करना विधि विरूद्ध है। चुंकि एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायलान/गैरसायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान/गैरसायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदू भी उभयपक्षकारान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान्** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में ख्खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.3076 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.6394 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 946 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, एवं खाता संख्या 499 खसरा नम्बर 1044 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.6430 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 591 रकबा 2.3634 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 593 रकबा 2.5900 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 784 रकबा 1.5540 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 785 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में **उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकर्ड** में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण जिला–ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण जिला–ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)